



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apecf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-17/2016-681 दिनांक : 06.06.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ रामगढ़ वन प्रमण्डल/ धनबाद वन प्रमण्डल/ बोकारो वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/ गोड्डा वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका/ वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण एवं सीसल वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल रु0 371.218 लाख (तीन करोड़ एकहत्तर लाख इक्कीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0बजट-19/2016-04/ व0प0 राँची दिनांक 30.05.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-19/2016-16/आ0 व0प0 दिनांक 03.05.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 371.218 लाख (तीन करोड़ एकहत्तर लाख इक्कीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| भजदूरी | 19S240601101580103 | 322.402 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601101580323 | 48.816 |
| कुल :- | | 371.218 |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (घ) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/ वन संरक्षक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (घ) पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19S240601101580103 तथा पी0 19S240601101580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दशों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यो का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-17/2016-681 दिनांक- 06.06.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार दानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ संचाल परगना, दुमका/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ देवघर/ दुमका/ एनवीरा शेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-17/2016-681 दिनांक- 06.06.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ रामगढ़/ धनबाद/ बोकारो/ देवघर/ गोड्डा/ हजारीबाग/ कोडरमा/ दुमका/ डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय / प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हे०) | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
|----------|-----------------------------------|--------------------|---------|---------------------|----------|
| | | | 8108.90 | 961.00 | 9069.90 |
| i | iii | iv | viii | ix | x |
| 1 | गिरिडीह पूर्वी वन प्रम०, गिरिडीह | 250 | 20.272 | 2.403 | 22.675 |
| 2 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रम०, गिरिडीह | 200 | 16.218 | 1.922 | 18.140 |
| 3 | रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़ | 200 | 16.218 | 1.922 | 18.140 |
| 4 | धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद | 152 | 12.326 | 1.460 | 13.786 |
| 5 | बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो | 150 | 12.163 | 1.442 | 13.605 |
| 6 | देवघर वन प्रमण्डल, देवघर | 200 | 16.218 | 1.922 | 18.140 |
| 7 | गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा | 60 | 4.865 | 0.576 | 5.441 |
| 8 | सा०वा० प्रमण्डल, हजारीबाग | 150 | 12.163 | 1.442 | 13.605 |
| 9 | सा०वा० प्रमण्डल, कोडरमा | 200 | 16.218 | 1.922 | 18.140 |
| 10 | सा०वा० प्रमण्डल, देवघर | 200 | 16.218 | 1.922 | 18.140 |
| 11 | सा०वा० प्रमण्डल, दुमका | 115 | 9.325 | 1.105 | 10.430 |
| 12 | विश्व खाद्य कार्यक्रम प्र०, दुमका | 90 | 7.298 | 0.865 | 8.163 |
| योग :- | | 1967.00 | 159.502 | 18.903 | 178.405 |

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय / प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हे०) | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
|----------|-----------------------------------|--------------------|---------|---------------------|----------|
| | | | 9295.80 | 2182.40 | 11478.20 |
| i | iii | iv | viii | ix | x |
| 1 | गिरिडीह पूर्वी वन प्रम०, गिरिडीह | 90 | 8.366 | 1.965 | 10.331 |
| 2 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रम०, गिरिडीह | 60 | 5.577 | 1.309 | 6.886 |
| 3 | रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़ | 90 | 8.366 | 1.965 | 10.331 |
| 4 | धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद | 90 | 8.366 | 1.965 | 10.331 |
| 5 | बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो | 100 | 9.296 | 2.182 | 11.478 |
| 6 | देवघर वन प्रमण्डल, देवघर | 60 | 5.578 | 1.309 | 6.887 |
| 7 | गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा | 60 | 5.578 | 1.309 | 6.887 |
| 8 | सा०वा० प्रमण्डल, हजारीबाग | 90 | 8.366 | 1.964 | 10.330 |

| क्र. सं. | कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हे०) | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
|----------|---------------------------|--------------------|---------|---------------------|----------|
| | | | 8108.90 | 961.00 | 9069.90 |
| i | iii | iv | viii | ix | x |
| 9 | सा०वा० प्रमण्डल, कोडरमा | 60 | 5.578 | 1.309 | 6.887 |
| 10 | सा०वा० प्रमण्डल, देवघर | 50 | 4.648 | 1.091 | 5.739 |
| 11 | सा०वा० प्रमण्डल, दुमका | 90 | 8.366 | 1.964 | 10.330 |
| योग :- | | 840 | 78.085 | 18.332 | 96.417 |

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हे०) | वित्तीय वर्ष 2017-18 | | |
|----------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| | | | 13806.02 | 2402.50 | 16208.52 |
| i | iii | iv | viii | ix | x |
| 1 | गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह | 60 | 8.284 | 1.442 | 9.726 |
| 2 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह | 60 | 8.284 | 1.442 | 9.726 |
| 3 | रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़ | 70 | 9.664 | 1.682 | 11.346 |
| 4 | गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा | 30 | 4.142 | 0.721 | 4.863 |
| 5 | सा०वा० प्रमण्डल, दुमका | 90 | 12.425 | 2.161 | 14.586 |
| योग :- | | 310 | 42.799 | 7.448 | 50.247 |

अनुलग्नक-1 (घ)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत सीसल वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हे०) | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
|------------|--|--------------------|----------|---------------------|----------|
| | | | 42016.26 | 4133.00 | 46149.26 |
| i | iii | iv | viii | ix | x |
| 1 | वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची | 100 | 42.016 | 4.133 | 46.149 |
| योग :- | | 100 | 42.016 | 4.133 | 46.149 |
| सकल योग :- | | 3217 | 322.402 | 48.816 | 371.218 |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

| क्रम | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रु० में) | सामग्री (रु० में) | कुल व्यय (रु० में) |
|--------|--|------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| (A) | वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) | | | | | |
| 1 | एक कोडनी-निकौनी | हे० | 14.00 | 3323.32 | 0.00 | 3323.32 |
| 3 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनाशक आदि) | हे० | 0.00 | 0.00 | 785.00 | 785.00 |
| 4 | पौधों की सुरक्षा | | | 0.00 | | |
| 4.1 | 30 हे० तक | हे० | 12.16 | 2886.54 | | 2886.54 |
| 4.2 | 30 हे० से 60 हे० तक | | | | | |
| 5 | घेराव मरम्मत | हे० | 6.00 | 1424.28 | 0.00 | 1424.28 |
| 6 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 2.00 | 474.76 | 176.00 | 650.76 |
| योग :- | | | 34.16 | 8108.90 | 961.00 | 9069.90 |

नोट :- स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो०ब०-19/2016- 04 दिनांक 30.05.2016

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- मू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

| क्र० | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रु० में) | सामग्री (रु० में) | कुल व्यय (रु० में) |
|--------|--|------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| (A) | वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) | | | | | |
| 1 | एक कोडनी एवं निकौनी | हे० | 23.00 | 5459.74 | 0.00 | 5459.74 |
| 2 | सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | | 0.00 | 0.00 | 1892.40 | 1892.40 |
| 3 | पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक) | हे० | 12.16 | 2886.54 | 0.00 | 2886.54 |
| | पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक) | | | | | |
| 4 | गड्ढा घेरान की मरम्मत | घेन | 1.00 | 237.38 | 0.00 | 237.38 |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 3.00 | 712.14 | 290.00 | 1002.14 |
| योग :- | | | 39.16 | 9295.80 | 2182.40 | 11478.20 |

नोट :- स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो०ब०-19/2016- 04 दिनांक 30.05.2016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे
पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०
मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

| क्रम | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रु० में) | सामग्री (रु० में) | कुल व्यय (रु० में) |
|--------|---|------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| (A) | वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी-निकौनी | हे० | 35.00 | 8308.30 | 0.00 | 8308.30 |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ उरिया, जैविक किटनाशक आदि) | हे० | 0.00 | 0.00 | 1962.50 | 1962.50 |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | 0.00 | | |
| 3.1 | 30 हे० तक | हे० | 12.16 | 2886.54 | | 2886.54 |
| 3.2 | 30 हे० से 60 हे० तक | | | | | |
| 4 | घेरान मरम्मति | घेन | 6.00 | 1424.28 | 0.00 | 1424.28 |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 5.00 | 1186.90 | 440.00 | 1626.90 |
| योग :- | | | 58.16 | 13806.02 | 2402.50 | 16208.52 |

नोट :- स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो०ब०-19/2016- 04 दिनांक 30.05.2016

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- सीसल वृक्षारोपण हेतु कार्य दर प्रति हे०

पौधों की संख्या प्रति हे०:- 6150

मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

| क्र० सं० | कार्य की विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रु० में) | सामग्री (रु० में) | कुल व्यय रु० में |
|----------|--|------|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| (A) | वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) | | | | | |
| 1. | दो कोड़नी एवं निकौनी | हे० | 145 | 34420.10 | 0.00 | 34420.10 |
| 2. | उर्वरक एवं रसायन | हे० | 0 | 0.00 | 4133.00 | 4133.00 |
| 3. | सुरक्षा कार्य | हे० | 12 | 2848.56 | 0.00 | 2848.56 |
| 4. | घेरान मरम्मति | हे० | 5 | 1186.90 | 0.00 | 1186.90 |
| 5. | मृत पौधों का बदलाव | हे० | 15 | 3560.70 | 0.00 | 3560.70 |
| योग :- | | | 177 | 42016.26 | 4133.00 | 46149.26 |

नोट :- स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो०ब०-19/2016- 04 दिनांक 30.05.2016

प्रधान मुख्य वन/संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवदन आदेश

झारखंड सरकार

जल विभाग एवं 2018-19 में राज्य हेतु विनियमित द्वाराए गए बजट नीति के सामने प्रकित रशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-17/2016/681

दिनांक - 06-Jun-2

| क्रमिक | विषय कोड | एकरोड नं | निकासी एवं व्यवसाय पदा. | आवंटित राशि |
|--------|---|----------|--|---|
| 1 | S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संशोधन 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनर्वसन 01 - वन एवं अन्य 03 - प्रशस्ति State Scheme | 32525 | GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV | 3,692,200.00 राज्य कीनाय लाल बंधन राजा की सी |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | |
| 2 | S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संशोधन 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनर्वसन 01 - वन एवं अन्य 03 - प्रशस्ति State Scheme | 32526 | GRDFOR003 SHI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. | 3,007,900.00 राज्य कीनाय लाल बंधन राजा की सी |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | |
| 3 | S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संशोधन 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनर्वसन 01 - वन एवं अन्य 03 - प्रशस्ति State Scheme | 32528 | HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER | 3,424,800.00 राज्य कीनाय लाल बंधन राजा की सी |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | |
| | | | | 10,124,900.00 |

रशि,

क्रमिक रशि:

राज्य एक करोड एक लाख बंधन राजा की सी

ISHRI SATNAM SINGH

J.C. DAS (CHIEF SECRETARY) FRANCH-II

| क्रमांक | विषय कोड | पर्सनल नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवृत्ति राशि |
|---------|--|-----------|--|---|
| 4 | S 19 240601101580103 2406 - वारिष्ठा तथा अन्य पार्श्व 01 - वारिष्ठा 101 - वन संरक्षण, विनाश तथा संरक्षण 58 - अधिपूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनःसंरक्षण 01 - वन संरक्षण एवं पुनः 03 - वन संरक्षण State Scheme | 32529 | DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER | 2,069,200.00 रुपये बीस लाख उन्नीस हजार दो सौ |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | |
| 5 | S 19 240601101580103 2406 - वारिष्ठा तथा अन्य पार्श्व 01 - वारिष्ठा 101 - वन संरक्षण, विनाश तथा संरक्षण 58 - अधिपूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनःसंरक्षण 01 - वन संरक्षण एवं पुनः 03 - वन संरक्षण State Scheme | 32539 | BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO | 2,145,900.00 रुपये एक लाख पचास हजार दो सौ |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | |
| 6 | S 19 240601101580103 2406 - वारिष्ठा तथा अन्य पार्श्व 01 - वारिष्ठा 101 - वन संरक्षण, विनाश तथा संरक्षण 58 - अधिपूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनःसंरक्षण 01 - वन संरक्षण एवं पुनः 03 - वन संरक्षण State Scheme | 32542 | DGRFORE08 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO FOR DIV.DFO. | 2,179,600.00 रुपये एक लाख पचास हजार दो सौ |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | |

| | |
|------------|--|
| योग | 6,394,700.00 |
| क्रमिक योग | रुपये एक करोड़ पचास लाख उन्नीस हजार दो सौ 16,519,600.00 |

Sachin
SHR. SACHIN SINGH

SHR. SACHIN SINGH
SHR. SACHIN SINGH

| क्रमांक | विषय कोड | एकड़ों सं | निकासी एवं व्यवस्थापक | आवृत्ति राशि |
|---------|--|-----------|---|--|
| 7 | S 19 240601101580103 2406 - वारिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वारिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संवर्धन 58 - अतिरिक्त वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वन संरक्षण 03 - वन भूमि State Scheme | 32545 | GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION | 1,458,500.00 रुपये बीस लाख अठारह हजार पाँच सौ |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | |
| 8 | S 19 240601101580103 2406 - वारिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वारिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संवर्धन 58 - अतिरिक्त वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वन संरक्षण 03 - वन भूमि State Scheme | 32548 | HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG | 2,052,900.00 रुपये बीस लाख बावन हजार नौ सौ |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | |
| 9 | S 19 240601101580103 2406 - वारिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वारिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संवर्धन 58 - अतिरिक्त वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वन संरक्षण 03 - वन भूमि State Scheme | 32550 | KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D F O (S.F.) KODERMA | 2,179,600.00 रुपये इक्कीस लाख इनासी हजार छ सौ |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | |

योग 5,691,000.00

क्रमिक योग 22,210,600.00

रुपये बी करोड़ बाइस लाख सत्र हजार छ सौ

Sadava
SADAVA SATNAM SINGH

RECEIVED BADAUNAHARDI RANCHI

| क्रमांक | विषय कोड | एकरोस नं | निकासी एवं व्यवस्थापक पदा. | आवंटित राशि |
|-----------|---|----------|---|---|
| 10 | S 19 240601101580103 2406 - वारिकी तथा अन्य शागी 01 - वारिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संशोधन 58 - अधिभूत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुन-संरक्षण 01 - वन संरक्षण एवं पुन-संरक्षण 03 - वन संरक्षण State Scheme | 32554 | DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV., DGR | 2,086,600.00 रुपये बीस लाख छियासी हजार छः सौ |
| | State Scheme Central Scheme | | AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) NA | |
| 11 | S 19 240601101580103 2406 - वारिकी तथा अन्य शागी 01 - वारिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संशोधन 58 - अधिभूत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुन-संरक्षण 01 - वन संरक्षण एवं पुन-संरक्षण 03 - वन संरक्षण State Scheme | 32556 | DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA | 3,011,600.00 रुपये तीस लाख पचास हजार छः सौ |
| | State Scheme Central Scheme | | AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) NA | |
| 12 | S 19 240601101580103 2406 - वारिकी तथा अन्य शागी 01 - वारिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संशोधन 58 - अधिभूत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुन-संरक्षण 01 - वन संरक्षण एवं पुन-संरक्षण 03 - वन संरक्षण State Scheme | 32558 | DMKFOR004 SRI KALI KINKER D.F.O.W.F.P.DUMKA | 729,800.00 रुपये सात लाख नब्बीस हजार आठ सौ |
| | State Scheme Central Scheme | | AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) NA | |
| योग | | | | 5,828,000.00 |
| अंतिम योग | | | | 28,038,600.00 |
| | | | (SHRI SATNAM SINGH) OFF DUMKARLAND RANCHI | |

| क्रमांक | विषय कोड | एकरीस में | निकाली एवं व्यवस्थापक पदा, | आवृत्ति राशि |
|----------|---|---|--|--|
| 13 | S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विज्ञापन तथा संयोजन 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेलन एवं अन्य 03 - प्रसूति एवं नगरी State Scheme | 32559 | DRNFWL032 KAMLESH PANDEY CF & STATE SILVICULTURIST JHA | 4,201,600.00 रुपये धनराशि लाख एक हजार 9 सौ |
| | State Scheme Central Scheme | AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) NA | | |
| 14 | S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विज्ञापन तथा संयोजन 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - प्रसूति एवं नगरी State Scheme | 32560 | GRDFOR001 KUMARASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. | 581,000.00 रुपये पाँच लाख इकहजार सौ 0 |
| | State Scheme Central Scheme | AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) NA | | |
| 15 | S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विज्ञापन तथा संयोजन 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - प्रसूति एवं नगरी State Scheme | 32562 | GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O GIRIDIH WEST FOR. DIV. | 467,300.00 रुपये पाँच लाख सड़सठ हजार पाँच सौ |
| | State Scheme Central Scheme | AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) NA | | |
| योग | | | | 5,249,900.00 |
| कमिक योग | | | | 33,288,500.00 |

रुपये तीन करोड़ बत्तीस लाख अठसता हजार पाँच सौ

(Signature)
SHRI SATNAM SINGH
DFO DANAPUR

Run Date: 6/8/2018

Page 6 of 9

| क्रमांक | विषय कोड | एकड़ों में | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|------------|---|------------|---|---------------|
| 16 | S 19 240601101580323 2406 - वनिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वनिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संवर्धन 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - ऋणित एवं वापसी State Scheme | 32554 | HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV FOREST OFFICER | 556,900.00 |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 17 | S 19 240601101580323 2406 - वनिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वनिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संवर्धन 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - ऋणित एवं वापसी State Scheme | 32555 | DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER | 342,500.00 |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 18 | S 19 240601101580323 2406 - वनिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वनिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संवर्धन 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - ऋणित एवं वापसी State Scheme | 32556 | BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O. BOKARO | 362,400.00 |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| योग | | | | 1,251,800.00 |
| प्रतिक योग | रूपये तीन करोड़ पैंसतासी लाख पचास हजार तीस-सौ | | | 34,550,300.00 |

(Signature)
SRI S. SATYANARAYAN SINGH
OFFICE, BADA MARG, RAMGARH RANCH

| क्रमांक | विषय कोड | एकरीस में | निकासी एवं व्यवस्थापन पदा. | आवंटित राशि |
|-----------|---|-----------|--|---|
| 19 | S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संयोजन 58 - अधिभूति वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनर्वसन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - श्रमिक एवं सामग्री State Scheme | 32570 | DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO. | 323,100.00 रुपये तीन लाख त्रिंशद हजार एवं सो |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | |
| 20 | S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संयोजन 58 - अधिभूति वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनर्वसन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - श्रमिक एवं सामग्री State Scheme | 32572 | GODFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION | 260,600.00 रुपये दो लाख साठ हजार एवं सो |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | |
| 21 | S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संयोजन 58 - अधिभूति वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनर्वसन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - श्रमिक एवं सामग्री State Scheme | 32573 | HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, J F S D.F.O., S. F. DIV. HAZARIBAG | 340,600.00 रुपये तीन लाख छहशत हजार एवं सो |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | |
| योग | | | | 924,300.00 |
| अंतिम योग | | | | 35,474,600.00 |
| | | | (SHRI SATNAM SINGH) OFFICE DEPUTY COMMISSIONER, RAIPUR | |

| क्रमांक | विषय कोड | एकसेज न | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवृत्ति राशि |
|---------|--|---------|--|---|
| 22 | S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संवर्धन 58 - अतिमूल्य वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आयुर्ति एवं सामग्री State Scheme | 32574 | KDMFOR002 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O.(S.F.) KODERMA | 323,100.00 रुपये तीन लाख तेइस हजार एक सौ |
| | State Scheme . AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(127B) Central Scheme NA | | | |
| 23 | S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संवर्धन 58 - अतिमूल्य वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आयुर्ति एवं सामग्री State Scheme | 32579 | DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV. DGR | 301,300.00 रुपये तीन लाख एक हजार सौ |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(127B) Central Scheme NA | | | |
| 24 | S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संवर्धन 58 - अतिमूल्य वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आयुर्ति एवं सामग्री State Scheme | 32580 | DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA | 523,000.00 रुपये पांच लाख तेइस हजार |
| | State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(127B) Central Scheme NA | | | |

योग:

1,147,400.00

अंतिम योग:

रुपये तीन करोड़ शतछह लाख बाइस हजार

36,622,000.00

(Signature)
(S.F.S) SANTOSH SINGH
D.F.O. DUMKHA BRANCHI

| क्रमांक | विपद कोड | एकड़ों नं | निकासी एवं व्यवहन पदा. | आवृत्ति राशि |
|---|---|-----------|---|--|
| 25 | S 19 240601101580323 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - वनिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा नवीकरण 58 - अतिरिक्त वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं सं-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - भूतुति एवं मानचित्र State Scheme | 32582 | DMKFOR004 SRI KALI KINKER D.F.O W.F.P.DUMKA | 86,500.00 रुपये छियासी हजार पांच गी |
| State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | | |
| 26 | S 19 240601101580323 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - वनिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा नवीकरण 58 - अतिरिक्त वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं सं-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - भूतुति एवं मानचित्र State Scheme | 32583 | DRNFWL032 KAMLESH PANDEY OF & STATE SILVICULTURIST JHA | 413,300.00 रुपये चार लाख तेरह हजार तीन सौ |
| State Scheme AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme NA | | | | |
| योग: | | | | 499,800.00 |
| अतिरिक्त योग | | | | 37,121,800.00 |

37,121,800.00

रुपये तीस करोड़ इकहत्तर लाख इकहत्तर हजार आठ गी

(SARV SATTNAM SINGH)
PCCF, D.BASHAKHARIBASTI GRANCHI

Run Date: 6/6/2018

Page 9 of 9